

आदेशफलक

मापी अग्रिमैख सं 01 / 18-19

आवेदक - दिनीप कुमार खानी

पिता - स्व० पानु खानी

सा० - कचरा

तिथि
25/4/18

आदेश

अभ्युक्ति

आवेदक - दिनीप कुमार खानी पिता - स्व० पानु खानी सा० - कचरा जिला - धनबाद नै मौजा न० 334 खातान० 40 प्लॉट न० 795, 791 रकबा 36 बी० भूमि मापी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर पट हाका कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा - कचरा थाना न० 334 खातान० 40 प्लॉट न० 795, 791 रकबा 36 बी० भूमि गत सर्वे खतिधान के अनुसार रैपती खाते की भूमि है। आवेदक की दादी खिया कदारीन की० के नाम से दमीन सं० 2353 दिनांक 19.3.57 के माध्यम से क्रय किया गया है। जिसका जमावंदी सं० 98 में नगान वसूल होता है। एवं वर्ष 85-86 तक नगान वसूल है।

अतः हाका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात अंचल अमीन को प्रतिनिधुक्त करें।

25/4/18

अंचल अधिकारी
बाधमारा

25/4/18

अग्रिमैख उपस्थापित किया गया। आवेदक दिनीप कुमार खानी पिता - स्व० पानु खानी सा० - कचरा नै NRM 01128 258 दिनांक 25.4.18 के द्वारा मापी शुल्क 750 =० सात सौ पचास रुपये जमा किया गया है।

अंचल अधिकारी
बाधमारा

9.7.18

अग्रिमैख उपस्थापित किया गया। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया गया है कि कचरा थाना न० 334 खातान० 40 प्लॉट न० 795 791 रकबा 36 बी० भूमि मापी हेतु दिनांक 6.6.18 को मौजा कचरा में जाकर दिनीप खानी से अंकुश उनके कागजातों को देखा कागजात देखने से पता चला की दमीन सं० 2353

दिनांक 10.3.57 को एक भोजा के खातानं 40 प्लॉट नं 791
 रकवा 0.03 ए० एवं प्लॉट नं 795 रकवा 0.33 ए० कुल 0.36 ए०
 भूमि आविष्क के दादी खीया कहरिन के नाम से कृप किया
 गया है। प्लॉटों का सर्वेक्षण कलें हुए मापी करते से पता चला
 की प्लॉट नं 791 का अंश रकवा 4 डी० भूमि हरि मन्दिर में
 चमी गयी है। शेष 23 डी० ही बचती है। प्लॉट नं 795 रकवा
 0.33 ए० भूमि मापी माल जगह-जगह पर पल्लव गड़वा किया
 इस प्रकार दोनों प्लॉटों का मापी रकवा 0.3575 एकड़ ही होता है।
 मापी के समय भूमि के गणन्य मान्य लोग श्री उपरिगत नै मापी
 शक्तिपूर्ण हुआ है।

अतः इसे अग्निमैत्र की कारिवाई समाप्त की जाती

है।

(Signature)
 उपरि अधिकारी
 बाधमाप